CENTRE FOR POLICY RESEARCH

NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT

तथ्य सत्यापन

प्रक्रिया पर एक नोट

पर्यावरणीय अनुपालना के लिए कानूनी सशक्तिकरण : तथ्य सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग

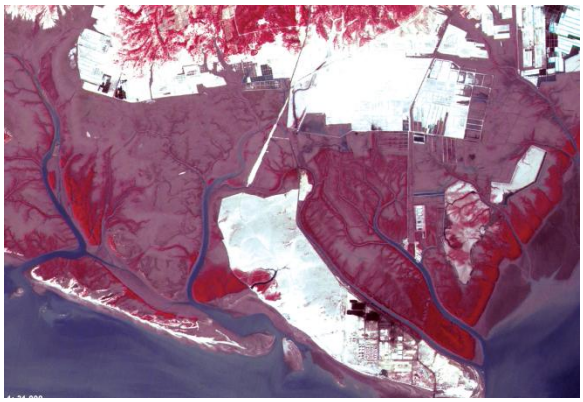

नवंबर 2000

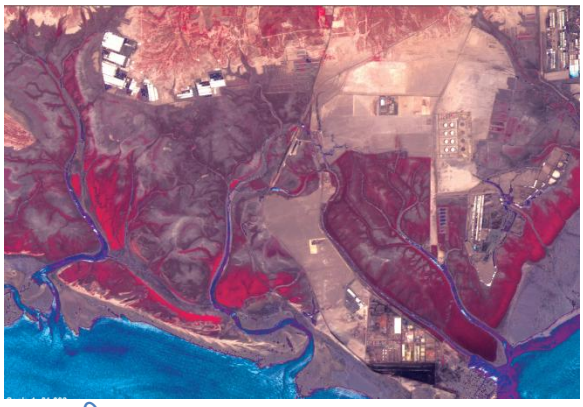

जनवरी 2005

दिसंबर 2009

तथ्य सत्यापन क्या होता है?

तथ्य सत्यापन का मतलब है कि आधिकारिक दस्तावेज़ों और नक़्शों में दिए गए तथ्यों की किसी स्थल या जगह पर मौजूद वास्तविक्ताओं से तुलना करना। दस्तावेज़ों में दी गई जानकारी की भौतिक जांच के रूप में, तथ्य सत्यापन प्रक्रिया एक प्रभावकारी उपकरण बन सकती है। इसके उपयोग से गैर–कानूनी, निषिद्ध या हानि पहुंचाने वाले क्रियाकलापों के आसानी से दिखने वाले तथ्यों के आधार पर सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। इन सबूतों को फिर उपयुक्त नियंत्रण अधिकरण, अपीलीय तंत्र या न्यायिक संस्थान को भेजा जा सकता है। यह तरीका एक बार में जांच करके सबूत इकट्ठा करने या परिणामों की निरंतर निगरानी के लिए उपयोगी है।

उदाहरण के लिए, किसी उद्योग को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी या लाइसेंस में यदि यह कहा गया है कि आसपास की नदी में उसका मलबा/अपशिष्ट नहीं डाला जाना चाहिए, तो इस शर्त की अनुपालना हो रही है या नहीं, उसके सबूत में तारीख/समय/स्थल की जानकारी के साथ तस्वीरें खींच कर पेश की जा सकती हैं। इसी प्रकार, सप्ताह के अलग–अलग दिनों में अलग–अलग समय पर तस्वीरें ले कर अपशिष्ट/मलबे के निस्तारण की आवृत्ति/समय–सारिणी भी दर्शाई जा सकती है।

तथ्य सत्यापन की क्या ज़रूरत है?

कई देशों में उद्योग और बुनियादी ढांचागत निर्माण की परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए नियामक प्रक्रिया स्थापित की गई है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम या न्यूनतम करना है। इसके लिए शर्तों के आधार पर स्वीकृतियां दिए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर परियोजना को कुछ अनिवार्य सुरक्षा कदमों की सूचि लागू करने के लिए दी जाती है। तथ्य सत्यापन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि इन शर्तों और सुरक्षा कदमों की अनुपालना की जा रही है या नहीं, और उससे परिणामों में सुधार हुआ है कि नहीं।

इसके अतिरिक्त, सहमति अनुबंध (MoU), लीज़ अनुबंध और ठेके के अनुबंध भी होते हैं, जिनकी

शर्तों पर सहमति के बाद परियोजना निर्माता, सरकार और समुदाय के लोग उन पर हस्ताक्षर करते हैं। इन दस्तावेज़ों में कई प्रतिबद्धताएं होती हैं, जिनकों पूरा करने की ज़िम्मेदारी अलग–अलग लोग लेते हैं। तथ्य सत्यापन की प्रक्रिया से निगरानी रखी जा सकती है कि इन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा रहा है या नहीं और इसके क्या परिणाम हो रहे हैं।

तथ्य सत्यापन कौन कर सकता है?

तथ्य सत्यापन को तीन स्तरों पर उपयोग किया जा सकता है :

- जनहित में किसी व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा : जैसे कि, पर्यावरणीय या अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाएं, जिनमें कुछ प्रमुख स्थानीय लोग सूचना देने वाले हों।
- सामुदायिक प्रतिनिधियों का समूह : जैसे कि प्रभावित लोग या ग्राम पंचायत के सदस्य
- पर्यावरणीय न्याय कानूनी सशक्तिकरण/पैरालीगल कार्यक्रम : जैसे कि प्रभावित समुदाय पैरालीगल के साथ मिलकर प्रभावों के सबूत इकट्ठे करें और उनके हल निकालें।

किस चरण पर तथ्य सत्यापन करना चाहिए?

- स्वीकृति मिलने से पहले : स्वीकृति के लिए जमा की गई जानकारी और तथ्यों के सत्यापन के लिए। उदाहरण के लिए, पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट और लोगों की सहमति संबंधी प्रावधानों की जांच करने के लिए।
- निर्माण के दौरान : सुरक्षा प्रावधानों और परियोजना निर्माण की शर्तों की पुष्टि के लिए। जैसे कि, मकानों या धार्मिक स्थलों को नुक्सान, नदियों या खेतों में अपशिष्ट प्रवाह, पुश्ते की दीवारें बनाना, अतिक्रमण रोकना और पुनर्स्थापन योजनाएं।
- स्वीकृति मिलने के बाद : लाइसेंस, स्वीकृति और अनुबंधों में दी गई कानूनी शर्तों की अनुपालना की जांच करने के लिए, चाहें कामकाज चालू हो चुका हो, तब भी। जैसे कि, जल प्रदूषित होने से बचाना, कच्चे माल को लाने–ले जाने संबंधी सुरक्षा प्रावधान, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं और ज़मीन से पानी खींचने का विनियमन।

किस का तथ्य सत्यापन होना चाहिए?

इस प्रक्रिया में सबसे महतवपूर्ण है तथ्य सत्यापन करने लायक पहलुओं की पहचान करना। इन पहलुओं का चुनाव करने में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। कुछ बातें जिनका आम तौर पर ध्यान रखा जा सकता है, वे हैं :

- आधिकारिक जानकारी की उपलब्धता : यह तरीका तब असरदार होता है जब स्वीकृति पत्र, प्रभाव आंकलन रिपोर्ट और सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध हों, जिससे कि हो रहे प्रभावों की उनमें दी गई जानकारी से तुलना की जा सके।
- स्थल तक पहुंच : यह तरीका अपनाने के लिए जिस जगह पर प्रभाव हो रहे हैं, वहां तक पहुंच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्पष्ट सबूत, जैसे कि तस्वीरें, पानी के नमूने, और जी.पी.एस. जानकारी इकट्ठी की जा सके।
- संस्थागत कड़ियों की जानकारी : इस तरीके में यह पता होना चाहिए कि सबूत किस संस्थान को देने हैं। अलग–अलग संस्थाओं के अपने अलग–अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, या वे किस प्रकार के सबूत और शिकायतें स्वीकार करेंगे यह भी अलग–अलग हो सकता है।
- कई प्रकार के सबूत : सबसे अच्छा है कि ऐसे तथ्यों का सत्यापन किया जाए, जिनके लिए अलग–अलग सबूत पेश किए जा सकें। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी नियामक एजेंसी या उल्लंघन पर कार्यवाही करने वाली संस्था को यक़ीन दिलाने के लिए उल्लंघन, गैर–कानूनी कृत्य या प्रभाव के तीन सबूत तो इकट्ठे करने ही चाहिएं। इसे त्रिकोण–मापना (Triangulation) कहते हैं।

  उदाहरण के लिए, मलबा फेंके जाने की तस्वीर के सहयोग में उससे पहले किसी

नियामक संस्था द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस या स्वीकृति की शर्त के साथ किसी विशिष्ट गतिविधि/ऐजेंसी/ परियोजना द्वारा गैर कानूनी कृत्य की मीडिया रिपोर्ट पेश की जा सकती है।

कानूनी सशक्तिकरण में एक प्रक्रिया और परिणाम के रूप में तथ्य सत्यापन

तथ्य सत्यापन कानूनी सशक्तिकरण की प्रक्रिया का भी एक अहम भाग हो सकता है। और साथ ही यह समुदायों को कानूनी जानकारी देने का परिणाम भी हो सकता है। सामाजिक या पर्यावरणीय न्याय संबंधी कानूनी जानकारी देने वाले कार्यक्रम में, तथ्य सत्यापन विश्वसनीय और संबद्ध सबूत इकट्ठे करने का एक तरीका हो सकता है।

इसे सामुदायिक स्तर पर करना भी संभव है, लेकिन तभी जब उनके साथ कानूनी जानकारी बांटी गई हो। इसे कानूनी जानकारी देने के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता मापने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। सामुदायिक आयोजक और पैरालीगल इसे अपने मामलों में हल खोजने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं (नीचे दी गई संदर्भ सूचि देखें)। इसे स्थानीय सरकारी एजेंसियां और ग्राम पंचायतें प्रभावों की जांच करने के लिए भी उपयोग कर सकती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
कांची कोहली
कानूनी शोध निर्देशक
सी.पी.आर–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम
kanchikohli@namati.org

मंजू मेनन
कार्यक्रम निर्देशक
सी.पी.आर–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम
manjumenon@namati.org

www.namati.org
www.cprindia.org